

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 216/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मगाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		1. उदाराम पुत्र डूंगराराम 2. गोकलाराम पुत्र डूंगराराम 3. हरखाराम पुत्र डूंगराराम 4. डालूराम पुत्र पदमाराम 5. दौलाराम पुत्र पदमाराम 6. रामचन्द पुत्र पदमाराम 7. अर्जुनराम पुत्र लालाराम 8. ईशराराम पुत्र खेमाराम 9. करनाराम पुत्र खेमाराम 10. चोंपाराम पुत्र लालाराम 11. जेतीदेवी पत्नि लालाराम 12. धीराराम पुत्र खेमाराम जातियान जाट निवासी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 13. टीकूराम पुत्र जोधाराम 14. प्रभुराम पुत्र जोधाराम 15. ओमाराम पुत्र गोरधनराम 16. केशाराम पुत्र गोरधनराम 17. किरताराम पुत्र देराजराम 18. खूमाराम पुत्र देराजराम 19. चेतनराम पुत्र गोरधनराम 20. भारूराम पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासी हरिगगर तहसील सिणधरी 21. तहसीलदार सिणधरी


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 (वारसे-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 12.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या 368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या 368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या 368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या

पुनः
विचार

368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाने जाते।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मन्व किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या 368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा मौजा हरीनगर के खेत खसरा संख्या 368/313 रकबा 0.1294 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 369/313 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5726 हैक्टेयर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी